B-3 4
L-14
Social Justice

a. उद्देश्य - Topic (Maintenance and welfare of parents and senior citizen Act 2007)

परित्यक्त माता-पिता एवं 60 वर्ष के उपर के वरिष्ठ नागरिकों की संतान एवं उत्तराधिकार को उनका उत्तरदायित्व सौंपकर वृद्ध माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को 90 दिनों की समय सीमा के अन्दर सुरक्षा उपलब्ध कराना।

b. प्रमुख प्रावधान -

(i) संतान द्वारा अपने माता-पिता की संपत्ति पर कब्जा करना और उनकी देखभाल नही करना गैर-कानूनी है और ऐसा करने पर 3 माह की जेल और 5 हजार का जुर्माना का प्रावधान।

(ii) आर्थिक एवं शरीरिक जरूरतों के भरण-पोषण की शर्त पर वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किसी के नाम की गयी संपत्ति को भरण-पोषण नही होने पर उसे वापस लेने का प्रावधान।

(iii) असमर्थ अभिभावक / माता-पिता (60 वर्ष से कम आयु के भी) एवं वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) को अपने बच्चों पर अपने रखरखाव एवं भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार (एक स्पेशल ट्रिब्यूनल के समक्ष स्वयं द्वारा या किसी अधिकृत संस्था द्वारा)।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES

Scanned by CamScanner

(iv) अभिभावकों में सगे, सौतेले एवं दत्तक माता-पिता शामिल हैं।

(v) रख-रखाव का दावा करने वाला दादा-दादी या माता-पिता हैं परन्तु उनके बच्चे या पोता-पोती नाबालिग हैं ऐसी स्थिति में तो वह यह दावा अपने रिश्तेदार पर भी करा सकते हैं जो उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी हो सकता है।

(vi) यदि एक से अधिक रिश्तेदार वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार हैं तो रख-रखाव का खर्चा रिश्तेदारों को समानुपात में देय होगा।

(vii) स्पेशल ट्रिब्यूनल यदि इस बात से संतुष्ट है तो- बच्चों अथवा संबंधियों ने अभिभावकों का भरण-पोषण नहीं किया है और उनकी उपेक्षा की है- तो ट्रिब्यूनल उन्हें मासिक भरण-पोषण हेतु अधिकतम 10 हजार रूपये तक देने का आदेश दे सकता है।

(viii) प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक वृद्धाश्रम के निर्माण का प्रावधान जिसमें कम से कम 150 लोगों के रहने की व्यवस्था हो और जिसमें मूल भूत सुविधाएँ उपलब्ध हों।

Scanned by CamScanner

(ix) सरकारी अस्पतालों में इनके लिए अलग से पंक्ति और इनके इलाज के लिए विशेष सुविधाओं से युक्त विस्तर का प्रावधान आदि।

माता-पिता और वरिष्ठ भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019

- 2019 में उपर्युक्त अधिनियम में बदलाव हेतु एक संशोधन विधेयक लाया गया- जिसमें बच्चों के अभिभावक की परिभाषा को विस्तारित किया गया, मूलभूत भरण-पोषण के अन्दर शामिल करने का प्रावधान।
- वरिष्ठ नागरिकों को/माता-पिता को दी जाने वाली अधिकतम भरण-पोषण राशि (जिसकी सीमा पहले 10,000/- रुपये थी) की सीमा समाप्ति का प्रावधान।
- वरिष्ठ नागरिकों को घर पर देखभाल सेवाएँ प्रदान करने वाले वरिष्ठ नागरिक देखभाल (पूर्ववर्ती वृद्धाश्रम) बहु-सेवा गृहों और देखभाल एजेन्सियों के पंजीकरण हेतु प्रावधान।

Scanned by CamScanner

वृद्धों के कल्याण एवं बढ़ोत्तरी के लिए योजनागत प्रयास -

(i) राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल, 2017

(ii) वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय कार्य योजना, 2020
(अटल वयो अभ्युदय योजना, 2021)

(iii) इंदिरा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, 1995

(iv) अटल पेंशन योजना 9 मई, 2015

(v) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, 2017

(vi) एकीकृत पेंशन योजना, 2024

समीक्षा एवं सुझाव

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES

• निश्चित रूप से अतिसंवेदनशील वर्ग के रूप में वृद्धजनों के बीच सरकार द्वारा या अन्य संगठनों द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रयासों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ है और उनका आर्थिक समावेशन एवं सामाजिक समावेशन संभव हुआ है। (उपलब्धियों की चर्चा करें।)

बावजूद इसके अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं विशेष रूप से 1991 के बाद राज्य की कल्याणकारी भूमिका में कमी और भारत में विद्यमान जनसंख्या के लिए

Scanned by CamScanner

असुचित वित्त के अभाव के कारण -
इस दिशा में किये गए कार्य अपर्याप्त रहे हैं और अभी भी इनका गांव तक विस्तार नहीं हो पाया है।

इसलिए जरूरत है कि, कुछ सुझावों पर अमल कर स्थिति को और सुदृढ़ किया जाये; जैसे -

1. वृद्ध कल्याण हेतु वृद्धों की संख्या अनुपात में वित्त भी बढ़ाया जाए।

2. वृद्धों के लिए कार्यक्रम निर्माण में, उनकी आवश्यकताओं एवं उनकी समस्याओं पर समुचित तरह से विचार किया जाए।

3. विशेष रूप से नगरीय वृद्धों में, अलगाव सामाजिक उपेक्षा, पीढ़ी का अन्तराल आदि से उत्पन्न तनाव एवं कुंठा की समस्या और उनमें व्याप्त हीनभावना की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाये।

Scanned by CamScanner

(iv) इन्हें हेतु विद्यमान कार्यक्रमों को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ और भ्रष्टाचार मुक्त तरह से लागू किया जाए।

(v) कानून, प्रावधान एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शामिल कानून प्रवर्तन एजेन्सियों एवं कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जाए ताकि वे इसको सरकारी ड्यूटी मात्र न मानते हुए अंतःकरण की आवाज से प्रेरित होकर लागू करें और इनके लाभों को लक्षित व्यक्ति तक समुचित रूप से पहुँचाने का प्रयास करें।

(vi) इस कार्य हेतु NGO, युवाओं एवं मीडिया के अधिकाधिक सहयोग को प्राप्त किया जाए।

(vii) इन योजनाओं के बारे में समुचित प्रचार प्रसार द्वारा इन्हें एवं उनके संरक्षकों को इनका लाभ लेने हेतु प्रेरित किया जाए।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

Scanned by CamScanner

संभावित प्रश्न

(i) नगरीय क्षेत्रों में अलगाव, सामाजिक उपेक्षा, पीढ़ी अन्तराल आदि से उत्पन्न तनाव एवं कुंठा की समस्या और इनमें व्याप्त हीन भावना पर चर्चा कीजिए और इसके लिए उत्तरदायी कारकों को बताइए।

(ii) भारत सरकार द्वारा भारतीय समाज में वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा एवं वित्तीय समावेशन की दिशा में किए गए प्रयासों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए इन प्रयासों को समुचित एवं सशक्त बनाने के लिए आप क्या प्रस्ताव करेंगे?

(iii) वृद्धा पेंशन योजना का गैर सरकारी एवं असंगठित क्षेत्रों तक विस्तार भारतीय वृद्ध जनों की कल्याण एवं बेहतरी के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। चर्चा कीजिए और इस दिशा में किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए।

Scanned by CamScanner